रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12082024-256291
CG-DL-E-12082024-256291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3089] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 9, 2024/ श्रावण 18, 1946
No. 3089] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 9, 2024/SHRAVANA 18, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2024

का.आ. 3243(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4893 (अ), तारीख 10 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 11 नवम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के उत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, कमलांग बाघ रिज़र्व, 783 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यह अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में स्थित है;

और, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व 2230.245 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें से 1985.235 वर्ग किलोमीटर कोर है और 245 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है, और यह भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अरूणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है।

और, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को अधिसूचना संख्या सीडब्ल्यूएल/डी/58/88/3175-3250, तारीख 18 अक्टूबर, 1989 के द्वारा वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था और इसे अधिसूचना सं. सीडब्ल्यूएल/डी/159/2014/680-1781 द्वारा तारीख 6 सितंबर, 2016 से बाघ रिज़र्व की प्रस्थिति प्रदान की गई थी और नमदफा को अधिसूचना संख्या सीएलडब्ल्यू/8/83/5284-5360 द्वारा राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया था और इसे अधिसूचना सं. एनओ एफओआर 482/डी-4/84 तारीख फरवरी 1987 द्वारा बाघ रिज़र्व घोषित किया गया था;

और, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य को नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो बाघ रिज़र्व भी है, का विस्तार करके उसमें जोड़ा गया है और यह जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है जो विभिन्न वनस्पति और जीवजन्तुओं के विकास के लिए आदर्श रूप से उपयुक्त है;

और, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र ऐसा संरक्षित क्षेत्र है जिसमें बड़ी बिल्ली की 4 प्रजातियां - जैसे तेंदुआ, बाघ, स्नो-लैपर्ड और लमचित्ता निवास करती हैं। यह पूर्वी हिमालयन जैव-विविधता हॉटस्पॉट में आने वाला सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह क्षेत्र विस्तृत डिप्टेरोकार्प वनों के लिए भी जाना जाता है जिसमें ऑर्किड, फर्न और लियानास प्रचुरता में पाये जाते है और यह एशिया के अंतिम सुदूर वन क्षेत्रों में आता है।

और, कमलांग और नमदफा बाघ रिज़र्व में और इसके आस-पास मुख्य वनस्पति प्रजातियां जैसे कि डिप्रोकार्पस *मैक्रोकारपस* (होलोग), *शोरिया असामिका* (साल), *एल्टिंगिया एक्सेल* (जटली), *मोरास लेविगाता* (बोला), *डिलेनिया इंडिका* (आउटेंगा), *टर्मिनलिया मेरियोकारपा* (होलॉक), *टूना सिलिएटा*, *सिनामोमम सीसीडोडाफन्ना*, *कास्टानोप्सिस इंडिका* (हिगोरी), *कैनारियम रेसीनिफेरम*, *डुबांगा ग्रैंडफोलिया* (खोकान), *डिक्सॉक्सिलोन हैमिल्टोनि* (बंदरडीमा), *क्रिप्टोमोरिया पेनिस्याटा*, *एलेकार्पस जेनिटरस* (रुद्राक्ष), *एसर ओब्लांगम* (हिमालयी मेपल), *अरुडिनग्रामिनी फोलिया* (बांस आर्किड), आदि पायी जाती हैं;

और, कमलांग और नामदाफा टाइगर रिजर्व 60 से अधिक पशु प्रजातियों का *मैनिस पेंटाडेक्टाइला* (चीनी पैंगोलिन), *कैपरिकोरनिस थार* (हिमालयी सीरो), *निक्टिसबस कूकांग* (स्लो लोरिस), *मकाका असामेंसिस* (असमिया मकाक), *ट्रेचीपिचकस पिपेटस* (कैप्ड लंगूर), *कुओन अल्पाइन* (जंगली कुत्ता), *उर्सस थिबेटानस* (एशियाई काला भालू), *लुत्रा लुत्रा* (सामान्य ऊदबिलाव), *प्रियोनेलुरस बेंगालेंसिस* (तेंदुआ बिल्ली), *पार्डोफेलिस मार्मोराटा* (संगमरमर वाली बिल्ली), *पैंथेरा पार्डस* (तेंदुआ), *पैंथेरा टाइग्रिस* (बाघ), *पैंथेरा अनसिया* (हिम तेंदुआ), *मोस्कस फोकस* (काला कस्तूरी मृग), *मोस्कस क्राइसोगास्टर* (हिमालयी कस्तूरी हिरण), *मुंटियाकस मुंटजैक* (बार्किंग हिरण), *नेमोरहेडस सुमात्रैन्सिस* (हिमालयी सीरो), *रतुफ़ा बाइकलर* (मलायन विशाल गिलहरी), *कैलोसियुरस पायगेरीथ्रस* (होएरी-बेलिइड गिलहरी), *ड्रेमोमिस लोकरिया* (नारंगी पेट वाली हिमालयी गिलहरी), *पेटौरिस्टा पेटौरिस्टा* (कॉमन फ्लाइह गिलहरी), *बैंडिकोटा इंडिका* (लार्ज बैंडिकूट रैट) और *हिस्ट्रिक्स ब्रैच्युरन* (चाइनिस पार्कुपाइन) आदि का समर्थन करते हैं

और, नामदाफा टाइगर रिज़र्व सप्रिया हिमालयन, पीनस मर्कुसी जैसी दुर्लभ पुष्प प्रजातियों का संरक्षण, संरक्षण और आश्रय प्रदान करता है; दुर्लभ जीव-जंतु प्रजातियाँ जैसे *कुओरा मौहोटी*, *हेलार्क्टोस मलायनस*, *मेलोगेल एसपीपी*, *मुस्टेला फ्लेविगुला*, *एओनिक्स सिनेरिया*, *प्रिनोडोन पार्डिकोलर*; खतरनाक प्रजातियों जैसे कि *बिस्वामॉयोप्टेरस बिस्वासी*, *ऐलुरस फुलगेंस*, *प्रियोनिलुरस विवरिनस*, *पैंथेरा टिग्रिस*, *पैंथेरा अनकिया*, *एलेफस मैक्सिमस*, *हुलॉक हुलॉक*, *एक्सिस पोरसिनस*, *मोस्चस फस्कस*, *मोस्चस क्राइसोगास्टर, हैड्रोमिस ह्यूमेई, मैनिस पेंटाडैक्टाइला और खतरे वाली प्रजातियां जैसे राकोफोरस नामदाफेन्सिस, ओटर (लुट्रिना एसपीपी);* आदि है;

और, कमलांग बाघ रिज़र्व एक दुर्लभ पुष्प प्रजाति, साइलौम नुडम, और एक लुप्तप्राय जीव प्रजाति, हूलॉक गिब्बन का संरक्षण, सुरक्षा और आश्रय भी प्रदान करता है;

और, कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं, जिन्हें पैरा 1 में पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय और जैव विविधिता की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, को सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणीयों के प्रचालन और प्रक्रियाओं को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अरुणाचल प्रदेश राज्य के कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 (शून्य) किलोमीटर से 11.92 किलोमीटर तक विस्तृत क्षेत्र को कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण पैरा 1 में विनिर्दिष्ट है, पर्यावरण गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरणीय निवारण, नियंत्रण और उपशमन के प्रयोजन के लिए और निम्नलिखित उपाय करती है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व की सीमा के चारों ओर 0 से 11.92 किलोमीटर तक होगा। इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 450.39 वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न दिशाओं में पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार निम्न रूप से हैः-

दिशाएं	**विस्तार (किलोमीटर में)**
उत्तर	1 किलोमीटर
उत्तर -पूर्व	1 किलोमीटर
पूर्व	0 (इंडो-म्यांमार सीमा)
दक्षिण-पूर्व	1 किलोमीटर
दक्षिण	0 (इंडो-म्यांमार सीमा)
दक्षिण –पश्चिम	1 किलोमीटर
पश्चिम	11.92 किलोमीटर
उत्तर - पश्चिम	1 किलोमीटर

टिप्पणः नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के पूर्वी और दक्षिणी दिशा में शून्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन को प्रस्तावित किया गया है चूंकि यह सीमा भारत-म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटी हुई है।

(2) कमलांग टाइगर रिजर्व और नामदाफा टाइगर रिजर्व के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ-साथ कमलांग और नामदाफा टाइगर रिजर्व का सीमा विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

IndiaCode

(3) सीमा विवरण और भू-निर्देशांक के साथ इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन को सीमांकित करते हुए कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के मानचित्रों को **उपाबंध–IIक, उपाबंध–IIख** और **उपाबंध–IIग** के रूप में संलग्न किया गया है।

(4) कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व और उसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची उपाबंध-III की सारणी क, सारणी ख और सारणी ग में दी गई है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची, उनके मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों सहित **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रभावी प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और आंचलिक महायोजना तैयार करेगी और इस अधिसूचना में दी गई शर्तों का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पालन करती रहेगी।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई हैं तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हो, के अनुसार तैयार होगी।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय संबंधी बातों को समाकलित करने के लिए, राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(xi) पंचायती राज; और

(xii) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी, जब तक इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो तथा आंचलिक महायोजना, सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी-अनुकूल हो, का संवर्धन करेगी।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है के लिए उपबंध होंगे।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना, विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरे से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और शहरी बस्तियों, वनों के प्रकार तथा किस्म, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, जैसे उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का सीमांकन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और पैराग्राफ 4 में सूचीबद्ध सारणी में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित और अभिवृद्धि करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना, प्रादेशिक विकास योजना की सह-विस्तारी होगी ।

(9) यथा अनुमोदित आंचलिक महायोजना, मानीटरी समिति के लिए एक निर्देश दस्तावेज होगा जिससे वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यो को कार्यान्वित कर सके ।

(10) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना तैयार होने तक, सभी नए निर्माण और अन्य विकासात्मक क्रियाकलापों को मानीटरी समिति को निर्दिष्ट किया जाएगा।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार, इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर, ऊपर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न के लिए, कृषि और अन्य भूमि के संपरिवर्तन को मानीटरी समिति की सिफारिश पर और प्रादेशिक नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के द्वारा स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का निर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का निर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग जिनके अंतर्गत ग्राम उद्योग भी है; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाएं जिसके अंतर्गत गृह वास भी हैं; और

(v) पैरा-4 में दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और कि प्रादेशिक शहरी योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 तथा तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, का अनुपालन किए बिना, वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भूमि के अभिलेखों में उपसंजात किसी त्रुटि को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उपपैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में वनीकरण तथा पर्यावासों की बहाली के क्रियाकलापों के द्वारा पुन: वनीकरण के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जलस्त्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुज्जीवन की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों में या उनके निकट विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो, ऐसी रीति में मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा;

(ख) यह पर्यटन महायोजना, राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा तैयार की जाएगी;

(ग) पर्यटन महायोजना, आंचलिक महायोजना का ही एक घटक होगी;

(घ) पर्यटन महायोजना, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन के आधार पर तैयार की जाएगी;

(ङ) पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (समय-समय पर यथा संशोधित) द्वारा जारी पारिस्थितिकी-पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसरण में होगा;

(ii) आंचलिक महायोजना तैयार होने और अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में बहुमूल्य नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों, जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाए, जल प्रपात, झरने, धारा मार्गो, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, अश्वरोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनके सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी तैयार की जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना भी तैयार की जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**- ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए पालन किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

IndiaCode

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा।

(12) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन, संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय गतिविधियां.-** यातायात की यानीय गतिविधियां पर्यावास-अनुकूल रीति से विनियमित की जाएगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और तद्धीन बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण लागू विधियों के अनुपालन में किया जाएगा और सीएनजी, एलपीजी आदि जैसे स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी समय-समय पर यथा संशोधित मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों और

पर्यावरण, वन और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना, संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और ऐसी रीति में तत्समय प्रवृत विधियों के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और समय-समय पर यथा संशोधित नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट किए गए है, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां ।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में आदेश का अनुपालन होगा और 2003 के आईए सं. 1000 का निर्णय तारीख 03-06-2022 और तत्पश्चात आईए सं. 131377 का निर्णय तारीख 26-04-2023 और 28-04-2023 को हुआ, के अनुसरण में किए जाऐंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगीः परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण ।	प्रतिषिद्ध।
5.	नैसर्गिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्रावों का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।

6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों के विस्तार की अनुज्ञा नहीं होगी ।
7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु, गुब्बारें, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस्, आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित।
	ख.विनियमित क्रियाकलाप	
9.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी: परन्तु यह, कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों की अनुरुपता से इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार होगा।
10.	निर्माणकारी क्रियाकलाप ।	संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का नया वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परन्तु यह, कि स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में वर्णित क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी: परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
11.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी, उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
12.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं हो सकेगी ।

		(ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी ।
13.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा ।
14.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा और भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।
15.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपाय किए जाएंगे।
16.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार शमन उपाय किए जाएंगे।
17.	पहाड़ी ढलानों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
18.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा ।
19.	स्थानीय समुदायों द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के उपयोग के लिए लागू विधियों के अनुसार अनुज्ञात होंगे।
20.	फर्मों, कारपोरेट और कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के सिवाय लागू विधियों के अनुसार विनियमित (सिवाय अन्यथा के उपबंधित) होंगे ।
21.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
22.	सतही और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
23.	कृषि और अन्य उपयोग के लिए खुले कुंआ, बोर कुंआ, आदि ।	विनियमित और सम्बद्ध प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
24.	ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
25.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पोलिथीन बैगों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।
28.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होगा ।

IndiaCode

	होर्डिंग।	
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- केन्द्रीय सरकार, मानीटरी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

(i)	उपायुक्त, चांगलांग या लोहित जिला, अरुणाचल प्रदेश सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	सदस्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ईटानगर	सदस्य, पदेन;
(iii)	वन्यजीव संरक्षण (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(iv)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से जैव विविधता सहित पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य;
(v)	उप निदेशक, शहरी विकास विभाग, चांगलांग या लोहित जिला	सदस्य, पदेन;
(vi)	कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, चांगलांग या लोहित जिला	सदस्य, पदेन;
(vii)	कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, चांगलांग या लोहित जिला	सदस्य, पदेन;
(viii)	वन संरक्षक और क्षेत्र निदेशक, नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, मियाओ	सदस्य सचिव,

और प्रभागीय वन अधिकारी, कमलांग वन्यजीव अभयारण्य प्रभाग, वाकरो पदेन;

6. मानीटरी समिति के निबंधन और कार्य:- (1) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए यथास्थिति, केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते है सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, मानीटरी समिती द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य-सचिव या संबद्ध कलेक्टर या संबद्ध उप वन संरक्षक, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले के आधार पर, मानीटरी समिति, संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमो या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति, **उपाबंध-V** में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय**:- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और संघ राज्यक्षेत्र सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **आदेश, उच्चतम न्यायालय आदि**:- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/13/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

उपाबंध-I

सारणी कः कमलांग बाघ रिज़र्व की सीमा का विवरण

नामः कमलांग बाघ रिज़र्व

क्षेत्रः 783.0 वर्ग किलोमीटर

सीमा, निम्नवत है-

उत्तर	इसकी सीमा रेखा जी आर 777414 स्थित बिंदु 'ए' जो की तवा और लांग नदी का संगम स्थल है, से प्रारंभ होकर लांग नदी के दाहिने तट के साथ-साथ धारा के विपरीत, इसके जी आर 001356 स्थित स्रोत तक जाती है, इसके बाद यह 90° के कोण पर एक कृत्रिम रेखा के साथ-साथ 700 मीटर तक चलकर जी आर 006356 स्थित रिज 3912 तक जाती है। फिर यह दक्षिण दिशा की ओर रिज के सहारे-सहारे चलते हुए चोटी 3936.3948 को स्पर्श करती है। इसके बाद यह पूर्व दिशा की ओर रिज के सहारे-सहारे जी आर 044333 स्थित तवा नाला के स्रोत तक जाती है। इसके बाद तवा नाला के दाहिने तट के सहारे-सहारे लाती नदी के साथ होने वाले इसके संगम, जिसे बिन्दु 'बी' कह सकते है, तक जाती है।
पूर्व	इसके बाद, यह बिंदु 'बी' से लगभग 300 मीटर लती नदी के प्रतिप्रवाह के साथ-साथ इसके स्रोत तक जाती है जो कि चांगलांग और लोहित जिलों की सीमा पर 4131 मीटर उन्नतांश के पूर्व में है।
दक्षिण	इसके बाद, यह सीमा रेखा जी आर 766127 में तवाई बराई के स्रोत तक पश्चिम की ओर चांगलांग और लोहित की अंतर जिला सीमा से होते हुए जाती है।
पश्चिम	इसके बाद यह तवाई बराई के बायै तट के साथ-साथ धारा की दिशा में जी आर 745218 पर होने वाले कमलांग नदी के साथ इसके संगम तक जाती है; फिर इसके बाद कमलांग नदी के बाँये तट के साथ-साथ धारा की दिशा में जी आर 726225 पर इसकी सहायक नदी सिना बराई के साथ होने वाले इसके संगम तक जाती है, इसके बाद लगभग 340° का कोण बनाते हुए एक कृत्रिम रेखा के सहारे-सहारे यह है 200 मीटर की दूरी चलकर जी आर 748260 पर स्थित इसकी सहायक नदी लाई के उद्गम स्थल तक जाती है। फिर लगभग 20° के कोण पर एक कृत्रिम रेखा बनाते हुए यह है 350 मीटर तक जी आर 778267 तक तवा की सहायक नदी के उद्गम स्थल तक जाती है; फिर उस सहायक नदी के बायै किनारे के साथ-साथ जी आर 809307 स्थित तवा नदी के संगम तक जाती है। फिर यह तवा नदी के बायैं तक के साथ-साथ धारा की दिशा में प्रभावित बिंदु 'ए' पर होने वाले लांग नदी के संगम तक जाकर समाप्त हो जाती है।

नामः कमलांग बाघ रिज़र्व का मूल क्षेत्र

क्षेत्रः 671.0 वर्ग किलोमीटर

सीमा निम्नवत है

इसके कोर या मुख्य क्षेत्र की सीमा रेखा कामलांग डब्ल्यू एल एस (टी आर) के दक्षिण-पश्चिम कोने पर 1 किलोमीटर के अंदर भू-निर्देशांक 27°39’13.108" उ और 96°26'6.400" पू के बिंदु से प्रारंभ होती है और फिर वहाँ से यह सीमा रेखा रिजर्व की सीमा समानान्तर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर भू-निर्देशांकों 27°44’27.244"उ और 96°24’28.174"पू से होते हुए भू निर्देशांक 27°53’52.998"उ और 96°28’10.351"पू स्थित बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह सीमा रेखा पूर्व की ओर 27°50"26.862"उ और 96°35’1.165"पू के भू-निर्देशांक वाले बिंदु से होती हुई 27°47’3.304"उ और 96°45'50.782"पू भू-निर्देशांक वाले बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर 27°41'58.164"उ और 96°455.407"पू के भू-निर्देशांक वाले बिंदु से होते हुए 27°37'56.165"उ और 96°49'36.606"पू के भू-निर्देशांक वाले बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह पश्चिम की और कमलांग टी आर की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ 27°39'13.108"उ और 96°26’6.400 पू भू-निर्देशांक वाले प्रारंभिक बिंदु से मिल जाती है।

Indiacode

नामः कमलांग बाघ रिज़र्व का बफर क्षेत्र

क्षेत्रः 112.0 वर्ग किलोमीटर

सीमा निम्नवत है

इसके बफर क्षेत्र की सीमा रेखा कमलांग डब्ल्यू एल एस (टी आर) के दक्षिण पश्चिम कोने से 1 किलोमीटर अंदर 27°39’13.108" उ और 96°26'6.400" पू भू-निर्देशांक वाले एक बिंदु से प्रारंभ होकर उत्तर की ओर रिजर्व बाउंडरी के समानान्तर 1 किलोमीटर तक तथा भू निर्देशांक 27°44’27.244"उ और 96°24’28.174”पू वाले बिंदु से होते हुए 27°53’52.998"उ और 96°28'10.351"पू के भू निर्देशांक बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह सीमा रेखा पूर्व दिशा में भू-निर्देशांक 27°50"26.862"उ और 96°35’1.165” पू बिंदु से होते हुए भू निर्देशांक बिंदु 27° 47’ 3. 304"उ और 96°45'50.782" तक जाती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर भू-निर्देशांक बिंदु 27°41'58.164” उ और 96°45’5.407” पू से होते हुए 27°37'56.165"उ और 96°49’36.606"पू भू-निदेशांक बिंदु तक जाती है। इसके बाद यह पूर्व की ओर 1 किलोमीटर जाती है जहाँ यह ‘रिजर्व’ के दक्षिण-पश्चिम कोने से मिलती है। इसके बाद यह उत्तर की ओर, फिर पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण की ओर रिजर्व बाउंडरी के सहारे सहारे रिजर्व के दक्षिणी कोने तक जाती है। फिर पूर्व की ओर चलकर यह प्रारंभिक बिंदु से मिल जाती है।

सारणी खः नमदफा बाघ रिज़र्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तरः- चम्पाई बम के पूर्वी शिखर से, तिरप और लोहित जिलों के बीच की सीमा रेखा के साथ-साथ अर्थात वह रिज जो कमलांग और दियून नदियों की पनधाराओं को विभाजित करता है साथ-साथ दफा बम से होते हुए भारत-बर्मा की अंतराष्ट्रीय सीमा रेखा तक, लोहित नदी के उद्गम स्थल के निकट, जाती है।

पूर्व- उपरोक्त बिंदु दक्षिण से इंडो-बर्मा अंतराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तिलुंग हका के स्रोत बिंदु 12533 तक जाती है, इसके बाद यह धारा प्रवाह की दिशा में बेनाम धारा प्रवाह के संगम से लगभग आधे मील से दीउन नदी सहित संगम तक जाती है। इसके बाद धारा प्रवाह के विपरीत इसके स्त्रोत तक जाती है। इसके बाद पटकोई श्रेणी में ग्रिड निर्देश एनएस 38, 783 में बिंदु 6472 के श्रेणी सहित उत्तर पश्चिमी दिशा में जाती है।

दक्षिण- उपरोक्त बिंदु ग्रिड निर्देश एनएस 380 780 पश्चिम से भारत-बर्मा अंतराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ किसी बेनाम धारा प्रवाह के स्त्रोत तक जाती है जा कि पटकोई पहाड़ी श्रेणी के ग्रिड सन्दर्भ एनएस 975 750 ए.टी. पर स्थित बिंदु 4557 पर पड़ता है।

पश्चिम- फिर यह उपर्युक्त स्त्रोत से धारा की दिशा में चलते हुए नामफुक नदी के साथ होने वाले इसके संगम तक जाती है, फिर धारा की दिशा में यह नामफुख नदी के साथ-साथ चलते हुए कोर वाइवा हका नदी के साथ होने वाले इसके संगम तक चलती है। फिर मुख्य कोर वाइवा की धारा की विपरीत दिशा में यह इसके उत्तर पश्चिमी चैनल के संगम तक जाती है जो की तेंग बम के उत्तर लगभग 1 मील दो फर्लांग पर स्थित इसके स्त्रोत से निकलती है। इसके बाद काई चैनल की धारा के विपरीत दिशा में इसके स्त्रोत तक जाती है। फिर पश्चिम दिशा में नैनान और कुमचाई हका पनधाराओं को विभाजित करने वाले रिज के साथ-साथ अवनान बम तक जाती हैं। फिर यह रिज को पार करते हुए पेन हका स्त्रोत से नैनोन बम तक जाती है। फिर यह पेन हका की धारा के साथ-साथ विजयनगर रोड तक चलती है। फिर यह पूरब की ओर मिआओं-विजयनगर सड़क के साथ-साथ पातिप हका तक जाती है।फिर धारा की दिशा में पातिप हका के साथ-साथ नोआ दिहिंग या दियुन नदी के साथ होने वाले संगम तक जाती है जो कि ग्रिड का एक बिंदु है उसके बाद नोआ दिहिंग या दियुन नदी के पश्चिमी तट के साथ-साथ ग्रिड रेफरेन्स एन एस 070 971 बिंदु पर स्थित है। उसके बाद यह नोआ-दिहिंग या दियुन नदी के पार किसी बेनाम धारा, जो कि उत्तर में ग्रेड रेफरेन्स एन एस 140 028 पर स्थित बिंदु 6490 से निकलती है, के साथ होने वाले संगम तक जाती है। उसके बाद यह धारा के विपरीत इसके स्त्रोत तक जाती है। इसके बाद यह पश्चिम दिशा में 'फुटपाथ' के रूप में दुपुँग आन तक बियरिंग 2778 पर, तब तक चलती है जब तक कि यह सीधी रेखा के रूप में नमदफा नदी से नदी मिल जाती है, जो कि नशोंग हका के स्त्रोत के बियरिंग 290° पर स्थित है। इसके बाद यह है नशोंग हका की धारा के साथ-साथ तब तक चलती है जब तक कि यह पकान-नमदफा फुटपाथ से नहीं मिल जाती है। इसके बाद यह पश्चिम में पकान-नमदफा फुटपाथ के सहारे सहारे लोंग काई पनधारा तक जाती है। फिर यह उत्तर पश्चिम दिशा में एक सीधी रेखा के रूप में नाम सो सोरप धारा के 325° बियरिंग से देबान नदी के साथ होने वाले इसके संगम तक जाती है इसके बाद यह देबांग नदी की धारा के विपरीत किसी बेनाम धारा के संगम तक जाती है जो की रेफरेन्स एन एम 905,104 पर पड़ता है जो की चम्पट बम के नीचे ग्रेड रेफरेन्स एन एम 901,158 पर स्थित अपने स्त्रोत से निकलती है, इसके बाद यह उत्तर की दिशा में सीधे चलकर प्रारंभिक बिंदु से मिल जाती है।

सारणी गः कमलांग बाघ रिजर्व और नमदफा बाघ रिजर्व के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर- इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा कामलांग वन्य अभयारण्य/टाइगर रिजर्व की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी पर 27° 54'56.06" उ 96°26'46.54" पू भू-निर्देशांक से प्रारंभ होती है। फिर पूर्व की दिशा में यह कामलांग वन्यजीव अभयारण्य/टाइगर रिजर्व की बाउण्डरी के समानांतर 1 किलोमीटर की चौड़ाई में 27° 54' 51.62 उ, 96° 28' 20.36" पू; 27° 54' 42.04"उ, 96° 30'50 13 पू; 27° 53' 15.22 उ, 96° 33' 35 61 पू; 27°51'13.25 उ, 96 41 2040 पू; 27°50 12.07 उ, 96° 41 34.93 पू भू-निर्देशांकों से होती हुए तब तक चलती है जब तक की यह नाम साई

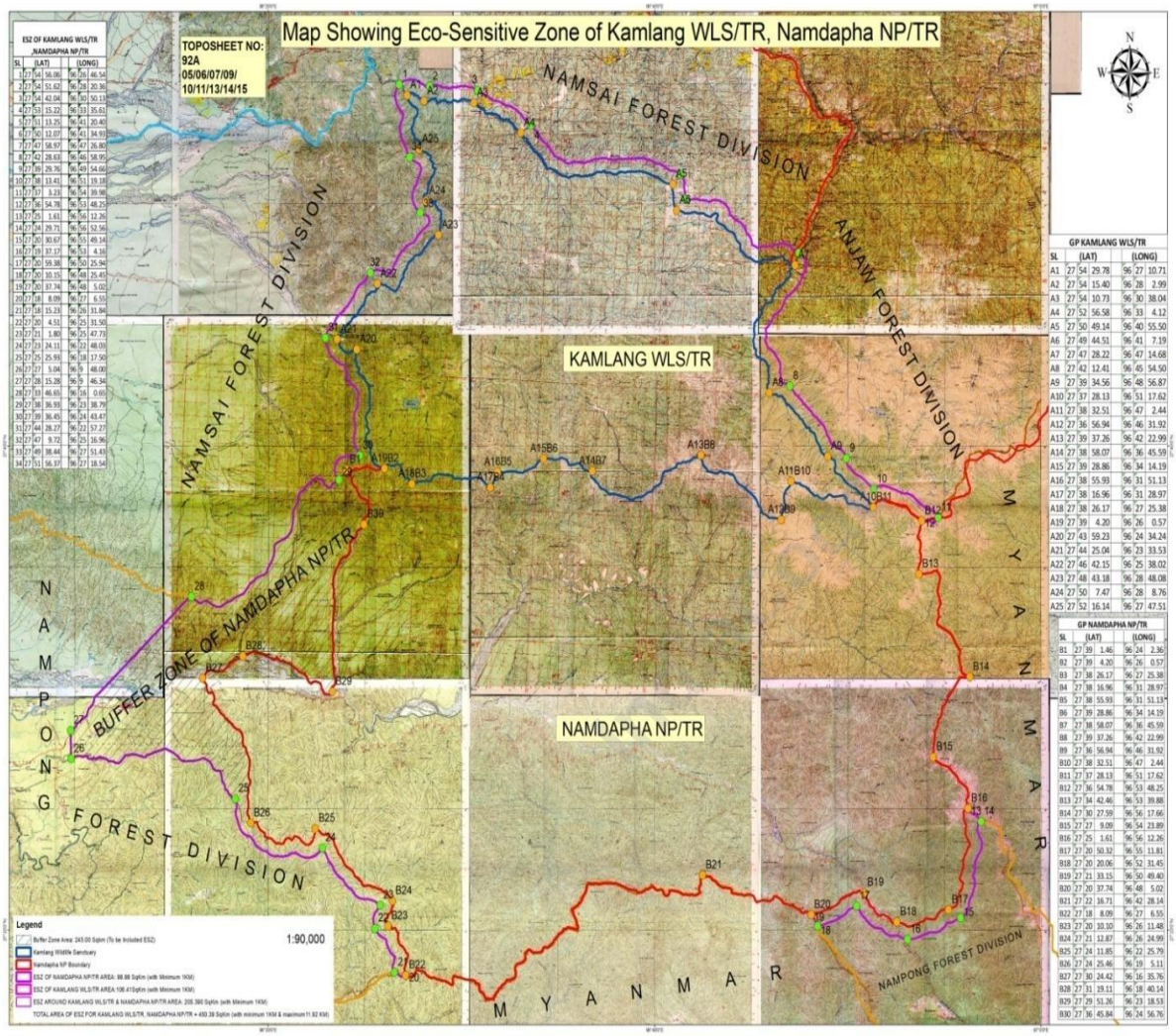
वन प्रभाग के साथ-साथ अन्जा वान प्रभाग की सीमा से नहीं मिल जाती है। इस प्रकार यह 27°47'58.97 उ 96° 47:26.80" पू तक जाती है।

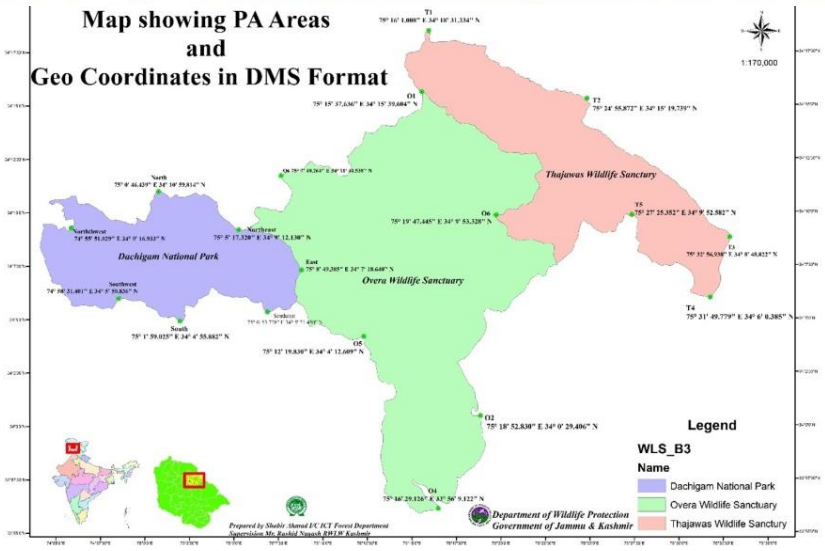
पूर्व- इसके बाद यह है दक्षिण पूर्व की ओर 27°42'28.63" उ 96°46'58.95" पू; 27°39' 29.76" उ, 96° 49' 54.66" पू ; 27°38' 13.41" उ, 96° 51'19.18" पू भू-निर्देशांक से होते हुए 27°36'54.78" उ, 96° 53 48.25" पू भू-निर्देशांक तक जाती है जो कि म्यामार और भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। इसके बाद यह इस अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे-सहारे 27°36'54.78" उ, 96°53'48.25" पू; 27°34'42.46" उ, 96° 53 39.88" पू; 27°30 '27.59 उ, 96 56 17.66" पू; 27°27'9.09 उ, 96° 34' 23.89" पू; 27° 25' 1.61 उ, 96°56' 12.26" पू भू-निर्देशांकों से होते हुए जाती है। फिर इसके बाद नमदफा राष्ट्रीय पार्क और टाइगर रिजर्व की बाउण्डरी से 1 किलोमीटर की चौड़ाई बनाते हुए 27°24'29.71 उ, 96° 56' 52.56" पू भू-निर्देशांक तक जाती है जब तक कि है नामपोंग वान प्रभाग की सीमा से नहीं मिल जाती है। इसके बाद यह नमदफा राष्ट्रीय पार्क एवं टाइगर रिजर्व की बाउण्डरी के समानांतर तथा 27°20'30.67" उ, 96° 55' 49 14" पू; 27° 19' 37.17 उ 96°53'4.16" पू; 27°20 59.38" उ 96°50'25.94" पू से होते हुए 27° 20' 10.15" उ, 96°48 25.45" पू तक जाती है जहां यह म्यांमार से मिल जाती है।

दक्षिण- इसके बाद यह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का पालन करते हुए तथा 27°20'37.74" उ, 96 48 5.02" पू भू निर्देशांक-से होते हुए 27°18'8.09" उ, 96°27'6.55" पू भू-निर्देशांक तक जाती है; फिर उसके बाद यह 27° 18'15.23″उ, 96°26'31.84" पू तक जाती है।

पश्चिम- इसके बाद यह उत्तर पश्चिम और उत्तर की दिशा में नमदफा राष्ट्रीय पार्क की बाउण्डरी के समानान्तर तथा उससे 1 किलोमीटर की चौड़ाई बनाते हुए 27°20'4 51" उ, 96°25 31.50" ; 27°21'1.80" उ, 96°25'47 73" पू; 27° 23' 24.11 उ, 96° 22 48.03" पू भू-निर्देशांकों से होते हुए जाती है। उसके बाद यह बिंदु 27° 25' 25.93"उ, 96° 18' 17.50"पू तक जाती है। उसके बाद यह नमदफा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन की दक्षिणी बाउण्डरी के साथ-साथ रिज का अनुकरण करते हुए भू-निर्देशांक बिंदु 27° 27'5.04"उ ,96° 9'48.00" पू तक जाती है। इसके बाद उत्तर दिशा में नोवा देहिन नदी के पश्चिमी तट के साथ 0° के मोड़ पर उस बिंदु तक जाती है जिसका भू-निर्देशांक 27° 28'15.28″उ 96°9'46.34"पू होता है। उसके बाद यह नमदफा राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ मेटो और मेराप एच के ए. की पनधारा स्रोत तक जाती है जिसका भू-निर्देशांक बिंदु 27°33'46.65″उ, 96°16'0.65पू है। फिर उसके बाद यह पूर्व दिशा की ओर भू-निर्देशांक 27°38'36.93 उ, 96° 23' 38 79" पर स्थित चम्पाई बम शिखर बिन्दु 2513 तक जाती है। फिर उसके बाद यह कमलांग डब्ल्यू एल एस और टी आर की सीमा के समानान्तर 1 कि.मी. की चौड़ाई तक 27°39'36,45उ, 96°24'43.47पू; 27°44 28.27 उ, 96° 22'57.27" पू 27°47'9.72" उ 96 25 16.96" पू: 27°49' 38.44" उ, 96° 27' 51.43" पू: 27 51'56.37 उ. 96° 27' 18.54" पू के निर्देशांक बिन्दुओं से होते हुए प्रारंभिक बिंदु 27° 54' 56.06" उ, 96° 26' 46.54" पू से मिल जाती है।

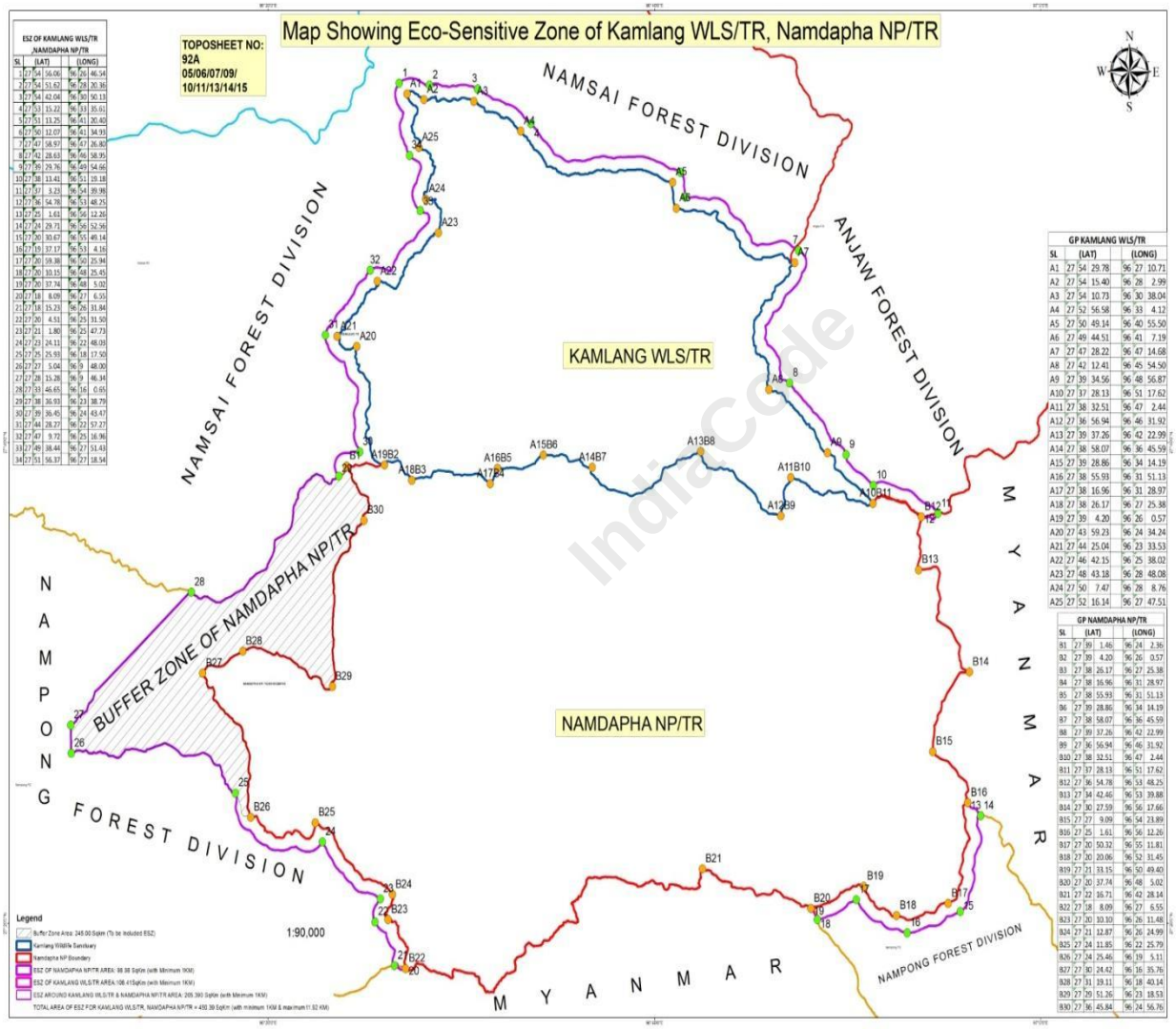
टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर सहित कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र





उपाबंध -II ख

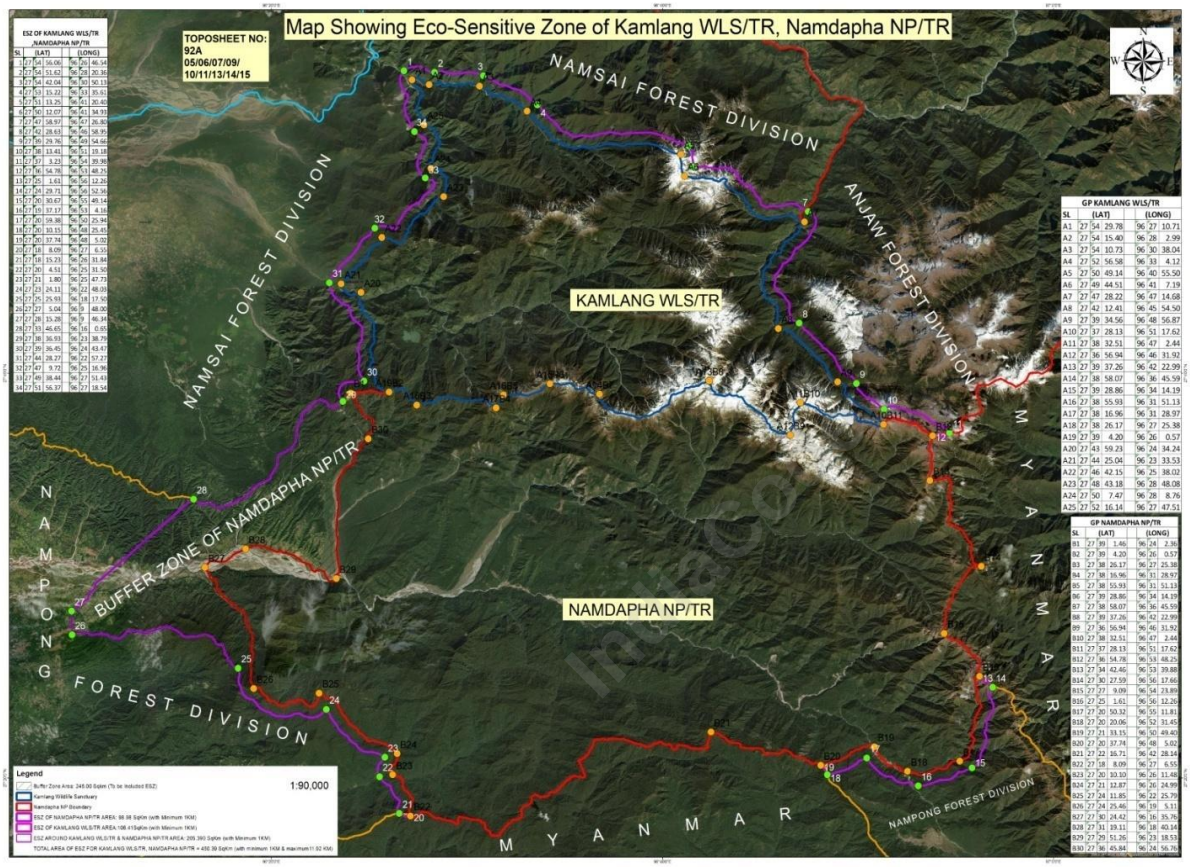
मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



ग

उपाबंध -II ग

कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र



उपाबंध -III

सारणी कः कमलांग वन्यजीव अभयारण्य (बाघ रिज़र्व) की सीमा के भू-निर्देशांक

जीपी कमलांग वन्यजीव अभयारण्य/बाघ रिज़र्व						
क्र.सं.	अक्षांश			देशांतर		
ए1	27’	54^{O}	29.78”	96’	27^{O}	10.71”
ए2	27’	54^{O}	15.40”	96’	28^{O}	2.99”
ए3	27’	54^{O}	10.73”	96’	30^{O}	38.04”
ए4	27’	52^{O}	56.58”	96’	33^{O}	4.12”
ए5	27’	50^{O}	49.14”	96’	40^{O}	55.50”
ए6	27’	49^{O}	44.51”	96’	41^{O}	7.19”

ए7	27’	47°	28.22”	96’	47°	14.68”
ए8	27’	42°	12.41”	96’	45°	54.50”
ए9	27’	39°	34.56”	96’	48°	56.87”
ए10	27’	37°	28.13”	96’	51°	17.62”
ए11	27’	38°	32.51”	96’	46°	2.44”
ए12	27’	36°	56.94”	96’	46°	31.92”
ए13	27’	39°	37.26”	96’	42°	22.99”
ए14	27’	38°	58.07”	96’	36°	45.59”
ए15	27’	39°	28.86”	96’	34°	14.19”
ए16	27’	38°	55.93”	96’	31°	51.13”
ए17	27’	38°	16.96”	96’	31°	28.97”
ए18	27’	38°	26.17”	96’	27°	25.38”
ए19	27’	39°	4.20”	96’	26°	0.57”
ए20	27’	43°	59.23”	96’	24°	34.24”
ए21	27’	44°	25.04”	96’	23°	33.53”
ए22	27’	46°	42.15”	96’	25°	38.02”
ए23	27’	48°	43.18”	96’	28°	48.08”
ए24	27’	50°	7.47”	96’	28°	8.76”
ए25	27’	52°	16.14”	96’	27°	47.51”

सारणी ख: नमदफा राष्ट्रीय उद्यान (बाघ रिज़र्व) की सीमा के भू-निर्देशांक

जीपी नमदफा राष्ट्रीय उद्यान/बाघ रिज़र्व						
क्र.सं.	**अक्षांश**			**देशांतर**		
बी1	27’	39°	1.46”	96’	24°	2.36”
बी2	27’	39°	4.20”	96’	26°	0.57”
बी3	27’	38°	26.17”	96’	27°	25.38”
बी4	27’	38°	16.96”	96’	31°	28.97”
बी5	27’	38°	55.93”	96’	31°	51.13”

IndiaCode

बी6	27’	39O	28.86”	96’	34O	14.19”
बी7	27’	38O	58.07”	96’	36O	45.59”
बी8	27’	39O	37.26”	96’	42O	22.99”
बी9	27’	36O	56.96”	96’	46O	31.92”
बी10	27’	38O	32.51”	96’	47O	2.44”
बी11	27’	37O	28.13”	96’	51O	17.62”
बी12	27’	36O	54.78”	96’	53O	48.25”
बी13	27’	34O	42.46”	96’	53O	39.88”
बी14	27’	30O	27.59”	96’	56O	17.66”
बी15	27’	27O	9.09”	96’	54O	23.89”
बी16	27’	25O	1.61”	96’	56O	12.26”
बी17	27’	20O	50.32”	96’	55O	11.81”
बी18	27’	20O	20.06”	96’	52O	31.45”
बी19	27’	21O	33.15”	96’	50O	49.40”
बी20	27’	20O	37.74”	96’	48O	5.02”
बी21	27’	22O	16.71”	96’	42O	28.14”
बी22	27’	18O	8.09”	96’	27O	6.55”
बी23	27’	20O	10.10”	96’	26O	11.48”
बी24	27’	21O	12.87”	96’	26O	24.99”
बी25	27’	24O	11.85”	96’	22O	25.79”
बी26	27’	24O	25.46”	96’	19O	5.11”
बी27	27’	24O	24.42”	96’	16O	35.76”
बी28	27’	31O	19.11”	96’	18O	40.14”
बी29	27’	29O	51.26”	96’	23O	18.53”
बी30	27’	36O	45.84”	96’	24O	56.76”

IndiaCode

सारणी ग: कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1.	27’ 54° 56.06”	96’ 26°46.54”
2.	27’ 54°51.62”	96’ 28°20.36”
3.	27’ 54°42.04”	96’ 30°50.13”
4.	27’ 53°15.22”	96’ 33°35.61”
5.	27’ 51°13.25”	96’ 41°20.40”
6.	27’ 50°12.07”	96’ 41°34.93”
7.	27’ 47°58.97”	96’ 47°26.80”
8.	27’ 42°28.63”	96’ 46°58.95”
9.	27’ 39°29.76”	96’ 49°54.66”
10.	27’ 38°13.41”	96’ 51°19.18”
11.	27’ 37°3.23”	96’ 54°39.98”
12.	27’ 36°54.78”	96’ 53°48.25”
13.	27’ 25°1.61”	96’ 56°12.26”
14.	27’ 24°29.71”	96’ 56°52.56”
15.	27’ 20°30.67”	96’ 55°49.14”
16.	27’ 19°37.17”	96’ 53°4.16”
17.	27’ 20°59.38”	96’ 50°25.94”
18.	27’ 20°10.15”	96’ 48°25.45”
19.	27’ 20°37.74”	96’ 48°5.02”
20.	27’ 18°8.09”	96’ 27°6.55”
21.	27’ 18°15.23”	96’ 26°31.84”
22.	27’ 20°4.51”	96’ 25°31.50”
23.	27’ 21°1.80”	96’ 25°47.73”
24.	27’ 23°24.11”	96’ 22°48.03”
25.	27’ 25°25.93”	96’ 18°17.50”

IndiaCode

26.	27’ 27°5.04”	96’ 9°48.00”
27.	27’ 28°15.28”	96’ 9°46.34”
28.	27’ 33°46.65”	96’ 16°0.65”
29.	27’ 38°36.93”	96’ 23°38.79”
30.	27’ 39°36.45”	96’ 24°43.47”
31.	27’ 44°28.27”	96’ 22°57.27”
32.	27’ 47°9.72”	96’ 25°16.96”
33.	27’ 49°38.44”	96’ 27°51.43”
34.	27’ 51°56.37”	96’ 27°18.54”

उपाबंध -IV

भू-निर्देशांकों सहित कमलांग बाघ रिज़र्व और नमदफा बाघ रिज़र्व के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

नमदफा राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व:

क्र. सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार	जिला	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर(पू) डीएमएस प्रारूप
1	बुद्धिस्ता	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°30’46”उ	96°23’36”पू
2	आनंदपुर-I	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27° 33’06”उ	96° 22’42”पू
3	आनंदपुर- I I	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27° 33’ 02”उ	96° 22’44”पू
4	पिसी	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°32’01”उ	96°15’18”पू
5	लामा कैंप/देबान	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°32’39”उ	96°23’17”पू
6	खमुक	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27 °32’00”उ	96°14’10”पू
7	एम'पेन	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°30’00”उ	96°16’26”पू
8	कमलापुरी	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27 °33’43”उ	96°21’42”पू
9	नंदाकानन	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°33’41”उ	96°18’12”पू
10	पुण्यभूमि	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°32’58”उ	96°16’27”पू
11	कथन	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27° 34’46”उ	96° 24’13”पू
12	देवापुरी	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°31’10”उ	96°18’15”पू

13	टापुन	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°34'54"उ	96°22'04"पू
14	खगमसिंगफो	सीमांत ग्राम	चांगलांग	27°32'17"उ	96°13'25"पू

कमलांग राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिज़र्व

क्र. सं.	ग्राम के नाम	ग्राम के प्रकार	जिला	अक्षांश (उ) डीएमएस प्रारूप	देशांतर(पू) डीएमएस प्रारूप
1	पुराना तोवम	सीमांत ग्राम	लोहित	27°45'09.47"उ	96°22'11.82"पू
2	हलाइक्रोंग	सीमांत ग्राम	लोहित	27°50'59.10"उ	96°48'40.65"पू
3	हवोंग	सीमांत ग्राम	लोहित	27°50'52.70"उ	96°48'36.52"पू

उपाबंध-V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।

2. बैठकों का कार्यवृत्त: (कृपया विचारणीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुलग्नक में प्रस्तुत करें) ।

3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।

4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निपटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार)। विवरण अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार (विवरण एक पृथक अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें)।

7. पर्यावरण अधिनियम की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।

8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2024

S.O. 3243(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number S.O. 4893(E), dated the 10th November, 2023, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 10th November, 2023;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the said draft notification;

AND WHEREAS, the Kamlang Tiger Reserve is spread over an area of 783 square kilometers and is located in the Lohit District in Arunachal Pradesh;

AND WHEREAS, the Namdapha National Park and Tiger Reserve is spread over an area of 2230.245 square kilometer out of which 1985.235 square kilometer is core and 245 square kilometers is buffer zone, located in the Changlang district of Arunachal Pradesh in the North Eastern part of India;

AND WHEREAS, the Kamlang Wildlife Sanctuary was notified as Wildlife Sanctuary *vide* notification number CWL//D/58/88/3175-3250 dated the 18th October, 1989 and was given the status of Tiger Reserve from the 6th September,2016 *vide* notification number CWL/D/159/2014/680-1781 and the Namdapha was notified as national park vide notification number CLW/8/83/5284-5360 and was declared as tiger reserve vide notification number NO FOR 482/D-4/84 dated February, 1987;

AND WHEREAS, the Kamlang Wildlife Sanctuary has been added to the extension of Namdapha National Park, also a tiger reserve and holds a rich biodiversity ideally suited for the growth of various floral and faunal form;

AND WHEREAS, the Namdapha National Park is the only protected area in the world which harbours four big cat species like leopard, tiger, snow-leopard and clouded-leopard and it is the largest protected area in the Eastern Himalayan Biodiversity Hotspot and in terms of area it is the 3rd largest National Park in India and the area is also known for the extensive dipterocarp forests, profusion of orchids, ferns and lianas among the last great remote wilderness areas of Asia;

AND WHEREAS, the major floral species found in and around Kamlang and Namdapha Tiger Reserve are *Diptrocarpus macrocarpus* (Hollong), *Shorea assamica* (Sal), *Altingia excela* (Jutli), *Moras levigata* (Bola), *Dillenia indica* (Outenga), *Terminalia myriocarpa* (Hollock), *Toona ciliata*, *Cinnamomum cecidodaphnnae*, *Castanopsis indica* (Higori), *Canarium resiniferum*, *Duabanga grandifolia* (Khokan), *Dixoxylon hamiltonii* (Banderdima), *Cryptomeria penicyata*, *Eleocarpus genitrus* (Rudraksh), *Acer oblongum* (Himalayan maple), *Arudinagramini folia* (Bamboo orchid)etc.;

AND WHEREAS, the Kamlang and Namdapha Tiger Reserves supports more than sixty faunal species, including *Manis pentadactyla* (Chinese Pangolin), *Capricornis thar* (Himalayan serow), *Nycticebus coucang* (Slow loris), *Macaca assamensis* (Assamese macaque), *Trachypitchcus pipeatus* (Capped langur), *Cuon alpines* (Wild Dog), *Ursus thibetanus* (Asiatic black bear), *Lutra lutra* (Common otter), *Prionailurus bengalensis* (Leopard cat), *Pardofelis marmorata* (Marbled cat), *Panthera pardus* (Leopard), *Panthera tigris* (Tiger), *Panthera uncia* (Snow leopard), *Moschus focus* (Black musk deer), *Moschus chrysogaster* (Himalayan musk deer), *Muntiacus muntjak* (Barking deer), *Naemorhedus sumatraensis* (Himalayan serow), *Ratufa bicolor* (Malayan giant squirrel), *Callosciurus pygerythrus* (Hoary-bellied squirrel), *Dremomys lokriah* (Orange bellied Himalayan squirrel), *Petaurista petaurista* (Common flying squirrel), *Bandicota indica* (Large bandicoot rat) and *Hystrix brachyuran* (Chinese porcupine) etc.;

AND WHEREAS, the Namdapha Tiger Reserve conserves, protect and provides shelter to rare floral species such as *Sapria himalayana*, *Pinus merkusii*, rare faunal species such as *Cuora mouhotii*, *Helarctos malayanus*, *Melogale* species, *Mustela flavigula*, *Aonyx cinerea*, *Prinodon pardicolo*r, endangered species such as *Biswamoyopterus biswasi*, *Ailurus fulgens*, *Prionailurus viverrinus*, *Panthera tigris*, *Panthera uncia*, *Elephus maximus*, *Hoolock hoolock, Axis porcinus*, *Moschus fuscus*, *Moschus chrysogaster*, *Hadromys humei*, *Manis pentadactyla* and threatened species such as *Rhacophorus namdaphaensis*, Otter (Lutrinae species);

AND WHEREAS, the Kamlang Tiger Reserve also conserves, protect and provides shelter to one rare floral species, *Psiloum nudum*, and one endangered faunal species, Hoolock Gibbon;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, extent and boundaries of Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological,

environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to extent ranging from zero to 11.92 kilometres around the boundary of Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve, in the State of Arunachal Pradesh as the Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are specified in paragraph 1 , for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abating environmental pollutions and takes the following measures, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone– (1) The Eco-sensitive Zone shall be to the extent of 0 to 11.92 kilometres cover an area of 450.39 square kilometers around the boundary of Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve The extent of Eco-sensitive Zone in different directions is as follows:-

Directions	**Extent (in kilometres)**
(1)	(2)
North	1 kilometers
North- East	1 kilometers
East	0 (Indo Myanmar Border)
South- East	1 kilometers
South	0 (Indo Myanmar Border)
South -West	1 kilometers
West	11.92 kilometers
North- West	1 kilometers

IndiaCode

Note: *Zero Eco-sensitive Zone has been proposed in Eastern and Southern direction of Namdapha National Park and Tiger Reserve as the boundary is contiguous with Indo-Myanmar International Boundary.*

(2) The boundary description of Kamlang and Namdapha Tiger Reserves along with the Eco-sensitive Zone around Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve is appended as **Annexure-I.**

(3) The maps of the Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and geo-coordinates are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB** and **Annexure-IIC.**

(4) Lists of geo coordinates of the boundary of Kamlang Tiger Reserve and Namdapha Tiger Reserve and its Eco-sensitive Zone are given in Table **A,** Table **B** and Table **C** appended as **Annexure-III.**

(5) The list of villages falling in the Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone (1) The State Government shall, for the purpose of effective management of the Eco-sensitive Zone, prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan, namely; –

(i) Environment;

(ii) Forest and Wildlife;

(iii) Agriculture;

(iv) Revenue;.

(v) Urban Development;

(vi) Tourism;

(vii) Rural Development;

(viii) Irrigation and Flood Control;

(ix) Municipality;

(x) Pollution Control Board;

(xi) Panchayati Raj; and

(xii) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks and it's like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local community's livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Until the preparation of the Zonal Master Plan for the Eco-Sensitive Zone, all new construction and other developmental activities shall be referred to the Monitoring Committee.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely: -

(1) Land use .- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of local residents and for activities such as :-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies .- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism .- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

2) the Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism in consultation with the Departments of Environment and Forests of the State Government;

3) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

4) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

5) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely: -

i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

ii) until the Zonal Master Plan is prepared and approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the regulatory authorities concerned based on the actual site-specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) Natural heritage .- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites .- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-Sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution .- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.

(7) Air pollution .- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.

(8) Discharge of effluents .- The discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) Solid wastes .- Disposal and management of solid wastes shall be as under :-

(a) The solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016. The inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone.

(b) Safe and environmentally sound management of solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone

(10) Bio-medical waste .– Bio medical waste management shall be as under:

(a) The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016.

(b) Safe and environmentally sound management of bio-medical wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 .

(12) Construction and demolition waste management .- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

(13) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be complied with in accordance with applicable laws and efforts to be made for use of cleaner fuel such as CNG, LPG, etc.

(16) Industrial units .–

a) No new polluting industries shall be allowed to be set up within the Eco-sensitive Zone.

b) Only non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive zone as per classification of Industries in the Guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes .- The protection of hill slopes shall be as under:-

a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted.

b) Construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone .- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act, and the rules made thereunder and notification of the Government of India , in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number 1533(E), dated the 14th September, 2006 and laws for the time being in force in the manner and as amended from time to time specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. N.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order (s) of the Hon'ble Supreme Court in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UoI in W.P.(C) No.202 of 1995 and Goa Foundation Vs. UoI in W.P.(C) No.435 of 2012 and IA No. 1000 of 2003 judgment dated 03.06.2022 and subsequent IA No. 131377 of 2022 judgment dated 26.04.2023 and 28.04.2023.

2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that, non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
	B. Regulated Activities	
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
10.	Construction activities.	New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any and beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
11.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or

IndiaCode

		revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder .
13.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
14.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws and underground cabling may be promoted.
15.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules , regulations and available guidelines.
16.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per the applicable laws, rules , regulations and available guidelines.
17.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
19.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
20.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided), as per the applicable laws except for meeting local needs.
21.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, otherwise, the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
22.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
23.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
24.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Use of polythene bags.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		

IndiaCode

29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of horticulture and herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

IndiaCode

5. Monitoring Committee .- There shall be a committee to be known as Monitoring Committee constituted by the Central Government which shall comprise of the following persons , namely: -

(i)	Deputy Commissioner, Changlang or Lohit District, Government of Arunachal Pradesh	– Chairman, *ex Officio;*
(ii)	Member Secretary, Arunachal Pradesh State Pollution Control Board, Itanagar	– Member, *ex Officio;*
(iii)	A representative of Non-Governmental Organisation working in the field of Wildlife Conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government from time to time every three years	– Member;
(iv)	An expert in the field of Ecology and Environment including Biodiversity from reputed Institution or University of the State to be nominated by the State Government from time to time every three years	– Member;
(v)	Deputy Director, Urban Development Department, Changlang or Lohit District	– Member, *ex Officio;*
(vi)	Executive Engineer, Rural works Department, Changlang or Lohit District	– Member, *ex Officio;*
(vii)	Executive Engineer, Public Health Engineering Department, Changlang or Lohit District	– Member, *ex Officio;*
(viii)	Conservator of Forests and Field Director, Namdapha National Park and Tiger Reserve, Miao and Divisional Forest Officer, Kamlang Wildlife Sanctuary Division, Wakro	Member-Secretary,*ex Officio*.

6. Terms and Functions of the Monitoring Committee .- (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State

Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the state as per pro-forma appended at **Annexure-V**.

(6) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Orders, Supreme Court, etc.:- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/13/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

IndiaCode

ANNEXURE- I

TABLE A: BOUNDARY DESCRIPTION OF THE KAMLANG TIGER RESERVE

Name: Kamlang Tiger Reserve

Area :783.0 Sq. km

Boundary as below

Direction	Description
(i)	(ii)
NORTH	Starting from a point 'A' which is the confluence of Tawa river with Lang river, at GR777414, the boundary runs along the right bank of Lang river (Lam river)' upstream, till its source at GR 001356. thence along an artificial line at a bearing of about 90' for a distance of about 700 mtrs. to the ridge 3912 at GR 006356, thence along the ridge touching the peaks 3936.3948 in southern direction, thence it follows the ridge in eastern direction up to the source of Tawa nalla at GR 044333, hence along the right bank of Tawa nalla upto its confluence with Lati river, say point 'B'.
EAST	Thence, from the point 'B' along the upstream of Lati river upto its source about 300mtrs. East of altitude 4131 mtrs, at district boundary of Changlang and Lohit district.
SOUTH	Thence, the boundary follows the inter district boundary of Changlang and Lohit westwards upto the source of Tawai Brai at GR 766127.
WEST	Thence, along the left bank of TawaiBrai downstream upto its confluence with Kamlang river at GR 745218; thence, along the left bank of Kamlang river downstream upto confluence of its tributary Sina Brai at GR 726225; thence along the river bank of Sina Brai upstream upto its source at GR 750258. thence, along an artificial line at ahearing of about 340° for a distance of 200 mtr. upto the source of the

	tributary of Lai river at GR 748260. thence along left bank of that tributary downstream upto its confluence with Lai river atGR 755274: thence along the left bank of Lai river upstream upto its source at GR 776264: thence an artificial line at a bearing of about 10° for a distance of 350 mtr. upto the source of a tributary of Tawa river at GR 778267,thence along the left bank of that tributary downstream upto its confluence with Tawa river at GR 809307, thence, along the left bank of Tawa river downstream upto its confluence with Lang river i.e, the starting point 'A'.

Name: - Core area of Kamlang Tiger Reserve

Area: - 671.0 Sq. km

Boundary as below

The boundary of Core area starts from a point 1 km inside the southwest corner of Kamlang WLS (TR) at geo-coordinates 27°39'13.108" N and 96°26'6.400" E, from thence, the boundary,goes northwards 1 km parallel to reserve boundary passing through the point at geo – coordinates 27°44'27.244"N and 96°24'28.174"E. up to the point at geo-coordinates 27°53'52.998"N and 96°28'10.351"E. Thence, the boundary goes eastwards passing through the point a geo-coordinates 27°50"26.862"N and 96°35'1.165" E. upto to the point 27°47'3.304"N and 96°45'50.782"E.Thence, southwards passing through the point at geo-coordinates 27°41'58.164" N and 96°455.407"E upto the point 27°37'56.165"N and 96°49'36.606" E .Thence westwards along the southern boundaries of Kamlang TR upto the starting point at geo-coordinates 27°39'13.108"N and 96°26'6.400 E.

IndiaCode

Name: - Buffer area of Kamlang Tiger Reserve

Area: - 112.0 Sq. km

Boundary as below

The boundary of buffer area starts from a point 1 km inside the southwest corner of Kamlang WLS (TR) at geo coordinates 27°39'13.108" N and 96°26'6.400" E, from thence, the boundary goes northwards 1 km parallel to reserve boundary passing through the point at geo – coordinates 27°44'27.244"N and 96°24'28.174"E. up to the point at geo-coordinates 27°53'52.998"N and 96°28'10.351"E. Thence, the boundary goes eastwards passing through the point at geo-coordinates 27°50"26.862"N and 96°35'1.165" E, upto to the point 27° 47' 3. 304"N and 96°45'50.782" Thence, southwards passing through the point at geo - coordinates 27°41'58.164" N and 96°45'5.407" E upto the point 27°37'56.165"N and 96°49'36.606"E. Thence, east wards for 1 km where it meets the southeast corner of the reserve. From thence, northwardsthen westwards and then southwards along the reserve boundary upto the southwards corner ofthe reserve. Then, eastwards for 1 km upto the starting point.

TABLE B: BOUNDARY DESCRIPTION OF THE NAMDAPHA TIGER RESERVE

NORTH: From the summit of Champai Bum east along the boundary between Tirap and Lohit Districts. i.e the ridge dividing the watershed of Kamlang and Diyun rivers to the Indo-Burma International boundary near the source of the Lati River through Dapha Bum.

EAST: From the above point south along the Indo-Burma International Boundary to the source of Tilung Hka. Point 12533, thence downstream to its confluence with Diyun River for about half a mile to the confluence of a nameless stream. Thence, upstream to its source, thence in north westerly direction along the ridge to pint 6472 at grid reference NS 38, 783 at Patkoi range.

SOUTH: From the above point grid reference NS 380 780 West along the Indo Burma international Boundary to the source of nameless stream that originate from its source at point 4557 at grid reference NS 975 750 AT Patkoi range.

WEST : From the above source thence downstream to its confluence with Namphuk River, thence downstream along Namphuk River to the confluence of Korvaiwa Hka, thence upstream of main Korvaiwa to the confluence of its north-western channel which originates from its source at about 1 mile 2 furlongs north of Teng Bum, thence upstream of thi channel to its source, thence in a westerly direction along the ridge dividing the watershed of Nanon and Kumchai Hka, to Aonaon Bum, thence across the ridge to the source of M'Pen Hka to Nanon Bum. Thence downstream along M'Pem Hka to Mioa-Vijayanagar Road. Thence east along Miao-Vijaynagar road to Patip Hka thence downstream along Patip Hka to confluence with Noa-Dehing or Diyun River to a point at a grid thence along the left bank of Noa-Dihing or Diyun river at a point at grid refrence NS 070 971. Thence across Noa Dehing ot Diyun river to the confluence of nameless stream which originates from the point 6490 at the North at grid reference NM 140, 028, thence upstream to its source, thence west as long the footpath from, Hpung-An at a bearing of 2778 until it meets Namdapha river in straight line at bearing of 290° to the source of Nshong Hka, thence downstream of Nshong Hka until it meets Pakan-Namdapha footpath thence west along the Pakan Namdpaha footpath to Longkai stream, thence in a north westerly direction in straight line at a bearing of 325° to Namso Sorai stream to its confluence with Deban River, thence upstream of Deban River to the confluence of a nameless stream at reference NM 905,104 which originates from its source at grid reference NM 901,158 below Champhat Bum, thence North straight to the starting point.

TABLE C: BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE

NORTH - The boundary of Eco Sensitive Zone starts at a distance of 1km from the boundary of Kamlang Wildlife Sanctuary/Tiger Reserve at geo-coordinates 27° 54'56.06" N 96°26'46.54" E Thence towards eastward direction parallel to the boundary of Kamlang Wildlife Sanctuary/Tiger Reserve with a width of 1km following at geo-coordinates 27° 54' 51.62 N, 96° 28' 20.36" E ; 27° 54' 42.04"N , 96° 30'50 13 E; 27° 53' 15.22 N, 96° 33' 35 61 E; 27°51'13.25 N, 96 41 2040 E; 27°50 12.07 N, 96° 41 34.93 E; till it meets the boundary of Anjaw Forest Division with Namsai Forest Division upto geo-coordinates 27°47'58.97 N 96° 47:26.80" E.

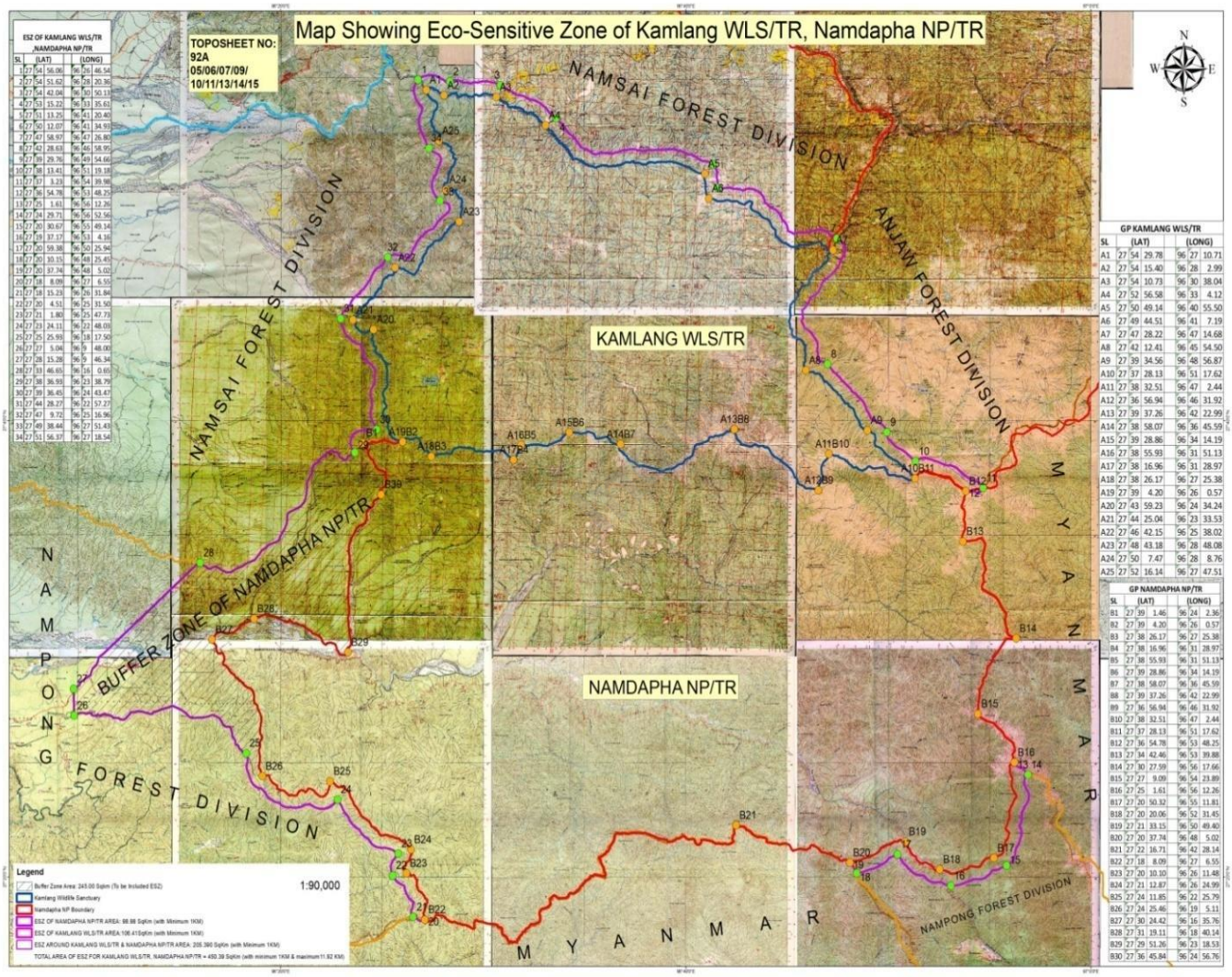
EAST - Thence, towards south-east direction following geo-coordinates 27°42'28.63" N 96°46'58.95" E; 27°39' 29.76" N, 96° 49' 54.66" E ; 27°38' 13.41" N, 96° 51'19.18" E; upto geo-coordinate 27°36'54.78" N, 96° 53 48.25" E ; at the International boundary of Myanmar & India. Thence following the international boundary along the geo-coordinates 27°36'54.78" N, 96°53'48.25" E; 27°34'42.46" N, 96° 53 39.88" E; 27°30 '27.59 N, 96 56 17.66" E; 27°27'9.09 N, 96° 34' 23.89" E; 27° 25' 1.61 N, 96°56' 12.26" E; thence for a width of 1 Km from the boundary of Namdapha National Park & Tiger Reserve upto geo-coordinates 27°24'29.71 N, 96° 56' 52.56" E; till it meets Nampong Forest Division. Thence, parallel to the boundary of Namdapha National Park & Tiger Reserve through geo-coordinates 27°20'30.67" N, 96° 55' 49 14" E; 27° 19' 37.17 N 96°53'4.16" E; 27°20 59.38" N 96°50'25.94" E; upto 27° 20' 10.15" N, 96°48 25.45" E; till it meets Myanmar.

SOUTH: Thence, following international boundary through geo-coordinates 27°20'37.74" N, 96 48 5.02" E; upto geo-coordinate 27°18'8.09" N, 96°27'6.55" E; thence, upto 27° 18'15.23″N, 96°26'31.84" E.

WEST: Thence, towards North-West & Northwards direction parallel to boundary of Namdapha National Park with a width of 1 km following the geo-coordinate 27°20'4 51" N, 96°25 31.50" ; 27°21'1.80" N, 96°25'47 73" E; 27° 23' 24.11 N, 96° 22 48.03" E; thence 27° 25' 25.93"N, 96° 18' 17.50"E; thence following a ridge along the Southern boundary of buffer Zone of Namdapha National Park upto a point at geo co-ordinates 27° 27'5.04"N ,96° 9'48.00" E. Thence towards North direction at a bearing of 0° upto the left bank of Noa-Dehing river upto a point at geo co-ordinates 27° 28'15.28″N 96°9'46.34"E. Thence along the Western boundary of buffer zone of Namdapha National Park upto watershed of Meto and Merap HKA source upto a point at geo co-ordinates 27°33'46.65″N, 96°16'0.65E thence towards north east direction upto Champhai Bum peak point 2513 at geo co-ordinates 27°38'36.93 N, 96° 23' 38 79". Thence parallel to the boundary of Kamlang WLS & TR for a width of 1 km through geo co-ordinates 27°39'36,45N, 96°24'43.47E; 27°44 28.27 N, 96° 22'57.27" E 27°47'9.72" N 96 25 16.96" E: 27°49' 38.44" N, 96° 27' 51.43" E: 27 51'56.37 N. 96° 27' 18.54" E till it meets the starting point at 27° 54' 56.06" N, 96° 26' 46.54" E.

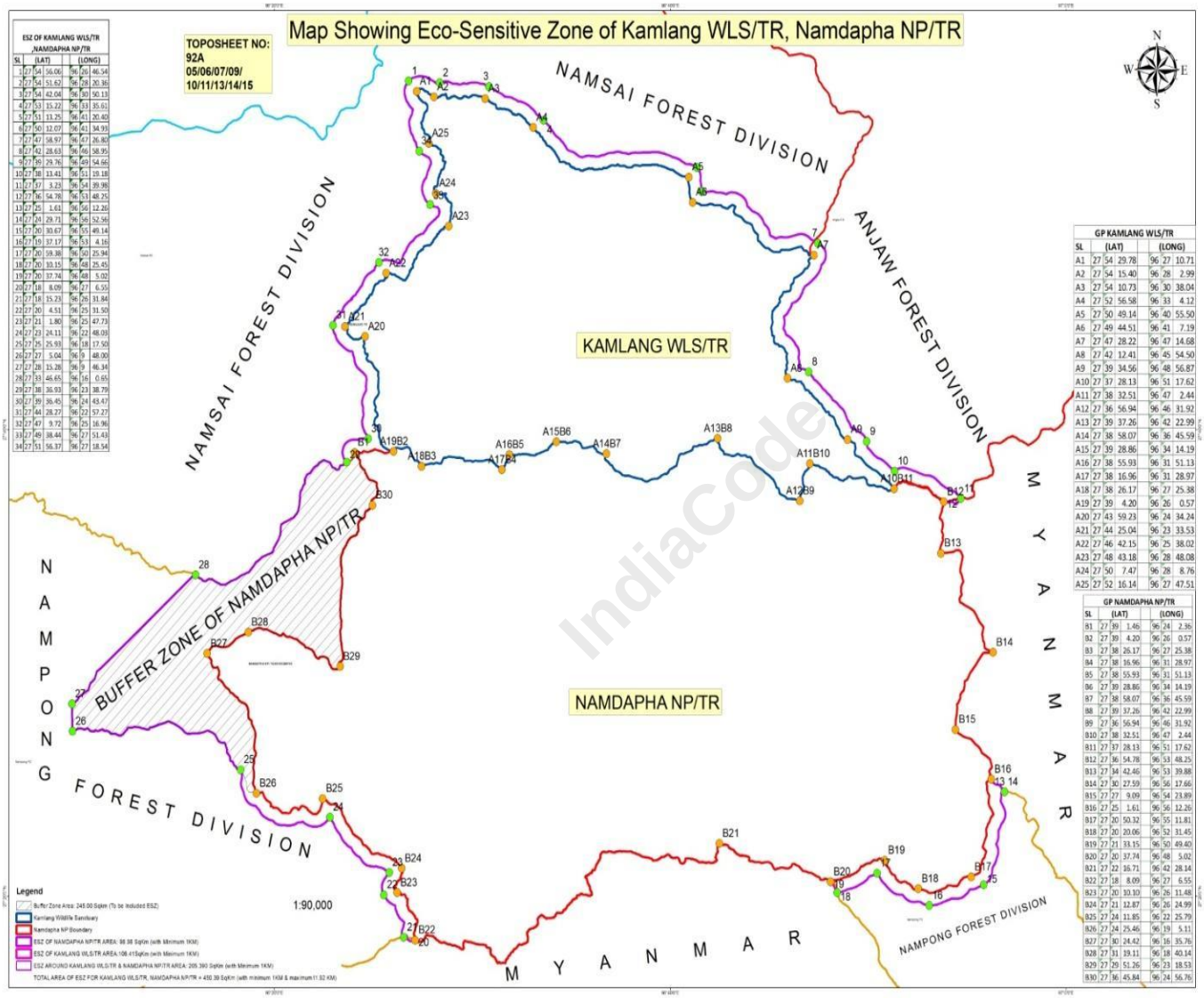
ANNEXURE- IIA

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON TOPOSHEET



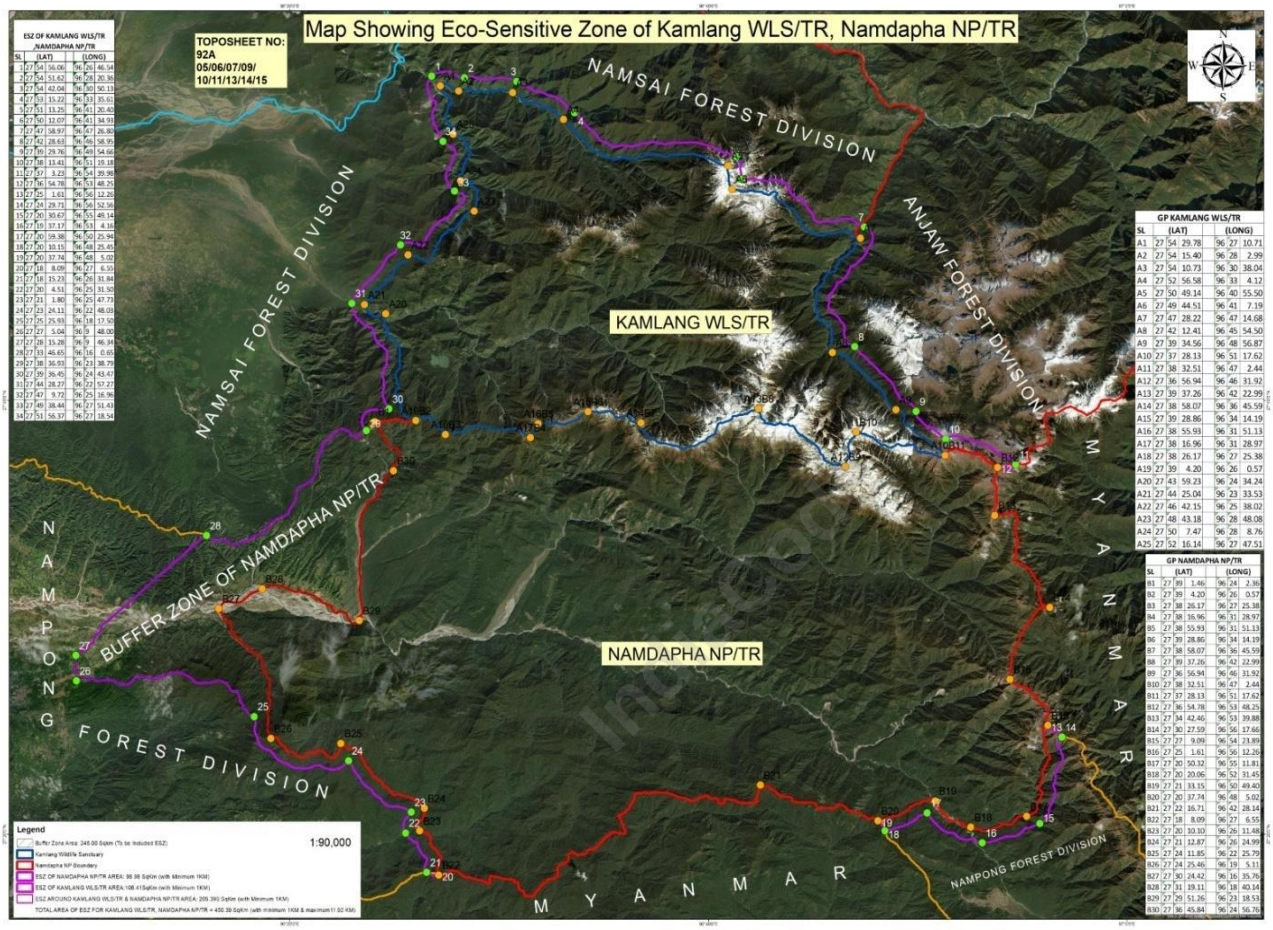
ANNEXURE- IIB

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS



ANNEXURE- IIC

GOOGLE EARTH MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF BOUNDARY OF KAMLANG WILDLIFE SANCTUARY (TIGER RESERVE)

GP KAMLANG WLS/TR						
SL	**(LAT) N**			**(LONG) E**		
A1	27’	54^{O}	29.78”	96’	27^{O}	10.71”
A2	27’	54^{O}	15.40”	96’	28^{O}	2.99”
A3	27’	54^{O}	10.73”	96’	30^{O}	38.04”
A4	27’	52^{O}	56.58”	96’	33^{O}	4.12”
A5	27’	50^{O}	49.14”	96’	40^{O}	55.50”
A6	27’	49^{O}	44.51”	96’	41^{O}	7.19”
A7	27’	47^{O}	28.22”	96’	47^{O}	14.68”
A8	27’	42^{O}	12.41”	96’	45^{O}	54.50”
A9	27’	39^{O}	34.56”	96’	48^{O}	56.87”
A10	27’	37^{O}	28.13”	96’	51^{O}	17.62”
A11	27’	38^{O}	32.51”	96’	46^{O}	2.44”
A12	27’	36^{O}	56.94”	96’	46^{O}	31.92”

A13	27’	39^{O}	37.26”	96’	42^{O}	22.99”
A14	27’	38^{O}	58.07”	96’	36^{O}	45.59”
A15	27’	39^{O}	28.86”	96’	34^{O}	14.19”
A16	27’	38^{O}	55.93”	96’	31^{O}	51.13”
A17	27’	38^{O}	16.96”	96’	31^{O}	28.97”
A18	27’	38^{O}	26.17”	96’	27^{O}	25.38”
A19	27’	39^{O}	4.20”	96’	26^{O}	0.57”
A20	27’	43^{O}	59.23”	96’	24^{O}	34.24”
A21	27’	44^{O}	25.04”	96’	23^{O}	33.53”
A22	27’	46^{O}	42.15”	96’	25^{O}	38.02”
A23	27’	48^{O}	43.18”	96’	28^{O}	48.08”
A24	27’	50^{O}	7.47”	96’	28^{O}	8.76”
A25	27’	52^{O}	16.14”	96’	27^{O}	47.51”

TABLE B: GEO- COORDINATES OF BOUNDARY OF NAMDAPHA NATIONAL PARK (TIGER RESERVE)

GP NAMDAPHA NP/TR						
SL	**(LAT)**			**(LONG)**		
B1	27’	39^{O}	1.46”	96’	24^{O}	2.36”
B2	27’	39^{O}	4.20”	96’	26^{O}	0.57”
B3	27’	38^{O}	26.17”	96’	27^{O}	25.38”
B4	27’	38^{O}	16.96”	96’	31^{O}	28.97”
B5	27’	38^{O}	55.93”	96’	31^{O}	51.13”
B6	27’	39^{O}	28.86”	96’	34^{O}	14.19”
B7	27’	38^{O}	58.07”	96’	36^{O}	45.59”
B8	27’	39^{O}	37.26”	96’	42^{O}	22.99”
B9	27’	36^{O}	56.96”	96’	46^{O}	31.92”
B10	27’	38^{O}	32.51”	96’	47^{O}	2.44”
B11	27’	37^{O}	28.13”	96’	51^{O}	17.62”
B12	27’	36^{O}	54.78”	96’	53^{O}	48.25”
B13	27’	34^{O}	42.46”	96’	53^{O}	39.88”
B14	27’	30^{O}	27.59”	96’	56^{O}	17.66”
B15	27’	27^{O}	9.09”	96’	54^{O}	23.89”
B16	27’	25^{O}	1.61”	96’	56^{O}	12.26”
B17	27’	20^{O}	50.32”	96’	55^{O}	11.81”
B18	27’	20^{O}	20.06”	96’	52^{O}	31.45”
B19	27’	21^{O}	33.15”	96’	50^{O}	49.40”
B20	27’	20^{O}	37.74”	96’	48^{O}	5.02”
B21	27’	22^{O}	16.71”	96’	42^{O}	28.14”
B22	27’	18^{O}	8.09”	96’	27^{O}	6.55”
B23	27’	20^{O}	10.10”	96’	26^{O}	11.48”
B24	27’	21^{O}	12.87”	96’	26^{O}	24.99”
B25	27’	24^{O}	11.85”	96’	22^{O}	25.79”
B26	27’	24^{O}	25.46”	96’	19^{O}	5.11”
B27	27’	24^{O}	24.42”	96’	16^{O}	35.76”
B28	27’	31^{O}	19.11”	96’	18^{O}	40.14”
B29	27’	29^{O}	51.26”	96’	23^{O}	18.53”
B30	27’	36^{O}	45.84”	96’	24^{O}	56.76”

IndiaCode

TABLE C: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO- SENSITIVE ZONE AROUND KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE

S.NO.	(LAT)	(LONG)
1.	27’ 54^{O} 56.06”	96’ 26^{O}46.54”
2.	27’ 54^{O}51.62”	96’ 28^{O}20.36”
3.	27’ 54^{O}42.04”	96’ 30^{O}50.13”
4.	27’ 53^{O}15.22”	96’ 33^{O}35.61”
5.	27’ 51^{O}13.25”	96’ 41^{O}20.40”
6.	27’ 50^{O}12.07”	96’ 41^{O}34.93”
7.	27’ 47^{O}58.97”	96’ 47^{O}26.80”
8.	27’ 42^{O}28.63”	96’ 46^{O}58.95”
9.	27’ 39^{O}29.76”	96’ 49^{O}54.66”
10.	27’ 38^{O}13.41”	96’ 51^{O}19.18”
11.	27’ 37^{O}3.23”	96’ 54^{O}39.98”
12.	27’ 36^{O}54.78”	96’ 53^{O}48.25”
13.	27’ 25^{O}1.61”	96’ 56^{O}12.26”
14.	27’ 24^{O}29.71”	96’ 56^{O}52.56”
15.	27’ 20^{O}30.67”	96’ 55^{O}49.14”
16.	27’ 19^{O}37.17”	96’ 53^{O}4.16”
17.	27’ 20^{O}59.38”	96’ 50^{O}25.94”
18.	27’ 20^{O}10.15”	96’ 48^{O}25.45”
19.	27’ 20^{O}37.74”	96’ 48^{O}5.02”
20.	27’ 18^{O}8.09”	96’ 27^{O}6.55”
21.	27’ 18^{O}15.23”	96’ 26^{O}31.84”
22.	27’ 20^{O}4.51”	96’ 25^{O}31.50”
23.	27’ 21^{O}1.80”	96’ 25^{O}47.73”
24.	27’ 23^{O}24.11”	96’ 22^{O}48.03”
25.	27’ 25^{O}25.93”	96’ 18^{O}17.50”
26.	27’ 27^{O}5.04”	96’ 9^{O}48.00”
27.	27’ 28^{O}15.28”	96’ 9^{O}46.34”
28.	27’ 33^{O}46.65”	96’ 16^{O}0.65”
29.	27’ 38^{O}36.93”	96’ 23^{O}38.79”
30.	27’ 39^{O}36.45”	96’ 24^{O}43.47”
31.	27’ 44^{O}28.27”	96’ 22^{O}57.27”
32.	27’ 47^{O}9.72”	96’ 25^{O}16.96”
33.	27’ 49^{O}38.44”	96’ 27^{O}51.43”
34.	27’ 51^{O}56.37”	96’ 27^{O}18.54”

IndiaCode

ANNEXURE-IV

LIST OF VILLAGES FALLING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE AROUND KAMLANG TIGER RESERVE AND NAMDAPHA TIGER RESERVE ALONG WITH GEO-COORDINATES

Namdapha National Park and TR:

S.No.	Name of village	Types of village	District	Latitude (N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	Budhista	Fringe Village	Changlang	27°30'46"N	96°23'36"E
2	Anandpur-I	Fringe village	Changlang	27° 33'06"N	96° 22'42"E
3	Anandpur-II	Fringe village	Changlang	27° 33' 02"N	96° 22'44"E
4	Pisi	Fringe Village	Changlang	27°32'01"N	96°15'18"E
5	Lama camp /Deban	Fringe village	Changlang	27°32'39"N	96°23'17"E
6	Khamuk	Fringe village	Changlang	27 °32'00"N	96°14'10" E
7	M'Pen	Fringe Village	Changlang	27°30'00"N	96°16'26"E
8	Kamalapuri	Fringe village	Changlang	27 °33'43"N	96°21'42"E
9	Nandakanan	Fringe village	Changlang	27°33'41"N	96°18'12" E
10	PunyaBhumi	Fringe Village	Changlang	27°32'58"N	96°16'27" E
11	Kathan	Fringe village	Changlang	27° 34'46"N	96° 24'13" E
12	Devapuri	Fringe village	Changlang	27°31'10"N	96°18'15" E
13	Tapun	Fringe Village	Changlang	27°34'54"N	96°22'04" E
14	KhagamSingpho	Fringe village	Changlang	27°32'17"N	96°13'25" E

Kamlang Wildlife Sanctuary and TR

S.No.	Name of village	Types of village	District	Latitude(N) DMS format	Longitude (E) DMS format
1	Old Towam	Fringe Village	Lohit	27°45'09.47"N	96°22'11.82" E
2	Halaikrong	Fringe village	Lohit	27°50'59.10"N	96°48'40.65" E
3	Hawong	Fringe village	Lohit	27°50'52.70"N	96°48'36.52" E

IndiaCode

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report: -

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment Act.
8. Any other matter of importance.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2016.08.12 15:02:01 +05'30'